

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक एफ 6(64)प्र.सु./अनु. 3/2012

जयपुर, दिनांक 04-09-2012


: आदेश :

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में राज्य स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण प्रोग्राम समन्वय समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं	अधिकारी का नाम वय विभाग	पद
1.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण	- अध्यक्ष
2.	शासन प्रमुख सचिव या निदेशक, एन.आर.एच.एन	- सदस्य सचिव
3.	शासन प्रमुख सचिव (गृह) या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी	- सदस्य
4.	शासन प्रमुख सचिव (स्कूल/उच्च शिक्षा) या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी	- सदस्य
5.	शासन प्रमुख सचिव (विज्ञान) या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी	- सदस्य
6.	शासन प्रमुख सचिव (ग्रामीण विकास) या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी	- सदस्य
7.	शासन प्रमुख सचिव, श्रम/श्रम आयुक्त या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी	- सदस्य
8.	शासन प्रमुख सचिव, यातायात/यातायात आयुक्त या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी	- सदस्य
9.	रेल्वे विभाग द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि	- सदस्य
10.	शासन प्रमुख सचिव, कृषि या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी	- सदस्य
11.	शासन प्रमुख सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी	- सदस्य
12.	सिविल सौसायटी ऑर्गनाइजेशन रविकिंग हेल्थ/तम्बाकू कन्ट्रोल या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी	- सदस्य
13.	शिला कलक्टर, राजसमद एवं श्रीगंगानगर	- सदस्य
14.	शासन प्रमुख सचिव, विधि विभाग या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी	- सदस्य
15.	शासन प्रमुख सचिव (पंचायती राज) या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी	- सदस्य

राज्य स्तरीय समन्वय समिति, राष्ट्रीय तम्बाकू प्रोग्राम के राज्य में सम्पूर्ण क्रियान्वन के लिए जिम्मेदार होगी। उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग होगा। विभागवार समिति अधिकारीगण, सदस्यगण की विभागवार भूमिका के संदर्भ में भारत सरकार से प्राप्त निर्देशिका की प्रति भी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

आज्ञा से


(अस्प.सी.गुप्ता)
शासन उप सचिव


प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
4. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।


शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव, उप सचिव मुख्य सचिव महोदय।
- 2- उपरोक्त संबंधित अधिकारीगण/सदस्यगण
- 3- निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा/आयुर्वेद/युनानी विभाग।
- 4- शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2/5) विभाग।
- 5- निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0, जयपुर।
- 6- निदेशक (आर.सी.एच.)/निदेशक (एड्स)/निदेशक (परिवार कल्याण)/निदेशक (आई.ई.सी.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0, जयपुर।
- 7- अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)/अतिरिक्त निदेशक (अस्पताल प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0, जयपुर।
- 8- रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव